हिमाचल प्रदेश सरकार
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

संख्याः वाई0एस0एस–एफ (5)–3/2019 तारीख शिमला–2 13 जनवरी, 2026

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अंतर्गत)

जबकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11(1) के अंतर्गत एक प्रारंभिक अधिसूचना, ग्राम डोली घराना, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल 7561.06 वर्ग मीटर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खरीडी मैदान, नादौन में इंडोर मल्टीस्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए, जारी की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

जिलाः हमीरपुर तहसीलः नादौन मौजाः कोहला ग्रामः डोली घराना

क्रम सं.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	श्री सुभाष चंद	437/1	109.51
2	श्री संजय कुमार	437/1	109.51
3	श्रीमती ब्रह्मी देवी	437/1	43.80
4	श्री मनोज कुमार	437/1	197.11
5	श्रीमती कृष्णा देवी	437/1	65.70
6	श्री राकेश कुमार	437/1	210.25
7	श्रीमती कर्तारो देवी	437/1	52.56
8	श्री केहरू राम	437/1	262.82
9	श्री लाल चंद	437/1	525.64
10	श्री रमेश कुमार	437/1	525.64
11	श्री कृष्ण चंद	429, 561/430/1	440.00
12	डी.ए.वी. स्कूल	431/2, 432, 433/2	2844.05
13	श्री सुनील कुमार	312/1	1630.85
14	श्री तुषार अवस्थी	559/430/2	543.62
	कुल		**7561.06**

और जबकि अधिसूचित सामाजिक प्रभाव आंकलन (SIA) इकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन किया गया तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन एवं सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

की जांच अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत गठित बहु–विषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई, जिसने उपर्युक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उक्त भूमि के अधिग्रहण की संस्तुति की।

और जबकि अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए तथा ग्राम डोली घराना के प्रभावित भूमिधारकों से लिखित आपत्तियां प्राप्त हुईं।

और जबकि उपरोक्त आपत्तियों पर उप–मंडल अधिकारी (नागरिक), नादौन द्वारा दिनांक 08.01.2026 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई तथा लिखित आपत्तियों एवं सुनवाई के दौरान दिए गए कथनों पर विचारोपरांत उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:–

"विस्तृत सुनवाई एवं जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रमुख प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है। सार्वजनिक प्रयोजन एवं परियोजना की आवश्यकता से संबंधित आपत्तियों की पुष्टि सक्षम सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। अतः उठाई गई आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं हैं और निरस्त किए जाने योग्य हैं। तदनुसार यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार आगे आवश्यक कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि धारा 19 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अब पूर्णतः स्वीकृत है।"

और जबकि अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के उपर्युक्त निष्कर्षात्मक अनुच्छेद में उप–मंडल अधिकारी (नागरिक), नादौन ने स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की है कि आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत घोषणा जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और सरकार आगे आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

और जबकि मंडलीय आयुक्त द्वारा दिनांक 06.01.2026 के पत्र के माध्यम से समुचित विचारोपरांत बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन योजना को निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है:–

(क) अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत जारी प्रारंभिक अधिसूचना,

(ख) सामाजिक प्रभाव आंकलन पर विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियां,

(ग) अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत उप–मंडल अधिकारी (नागरिक), नादौन की सुस्पष्ट रिपोर्ट एवं अंतिम संस्तुति, तथा

(घ) मंडलीय आयुक्त द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन योजना को प्रदान की गई स्वीकृति,

के आधार पर तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित भूमि उपर्युक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है और उसे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अधिग्रहित किया जाएगा।

अतः यह अधिसूचना उपर्युक्त वैधानिक जांचों एवं संस्तुतियों के आधार पर जारी की जाती है और यह इस बात का अंतिम एवं निर्णायक प्रमाण होगी कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

आदेश द्वारा

सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

अनुक्रमणिका संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला–171002, 13 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. मंडलीय आयुक्त, मंडी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।
3. उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
4. अतिरिक्त उपायुक्त, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को दो प्रमुख समाचार पत्रों (एक हिंदी व एक अंग्रेजी) में प्रकाशन हेतु।
5. निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. अध्यक्ष, सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई, एम.एस.एच.आई.पी.ए., फेयरलॉन्स, शिमला–12 ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शिमला–2।
8. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5।
9. उप–मंडल अधिकारी (नागरिक)–सह–भूमि अर्जन कलेक्टर, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय भाषा में प्रचार हेतु उपयुक्त स्थानों पर चस्पा करने के लिए।
10. उप–मंडल दंडाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
11. तहसीलदार, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

(रमेश चंद)
अवर सचिव (युवा सेवाएं एव खेल)
हिमाचल प्रदेश सरकार।